2019/00341

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 76/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा विराट नगर, जयपुर अलवर रोड़, जिला–जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

(1) श्री ताराचन्द योगी पुत्र श्री घनश्याम योगी (ऋणी)

(अ) ग्राम– बास शेखावत, पोस्ट–नीमूचाणा, तहसील–बानसूर, जिला–अलवर (राज.)

(ब) प्लॉट नं. 6, खसरा नं. 1374, ग्राम–बासड़ी, तहसील–कोटपूतली, जिला–जयपुर (राज.)

(2) श्री सुभाष चन्द अग्रवाल पुत्र श्री सतीश चन्द अग्रवाल (गारन्टर)

21, साजानायतों का मौहल्ला, विराट नगर, जिला– जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :– श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

निर्णय दिनांक 7.11.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05/11/2014 को टर्म लोन (हाऊसिंग लोन), दिनांक 30/03/2018 को टर्म लोन (प्री एप्रूव्ड) पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री ताराचन्द योगी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 6, खसरा नं. 1374, ग्राम–बासड़ी, तहसील–कोटपूतली, जिला–जयपुर (राज.) स्थित आवासीय सम्पत्ति क्षेत्रफल 172.98 वर्गगज को बन्धक कर टर्म लोन (हाऊसिंग लोन) खाते (खाता नं. 43520600000055) में रू. 11 लाख तथा टर्म लोन (प्री एप्रूव्ड) खाते (खाता नं. 43520600000344) में रू. 1.10 लाख, इस प्रकार दोनों खातों में कुल रू. 12.10 लाख रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11/01/2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायहित में अप्रार्थी ऋणी को सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11/01/2019 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं करायी गई है। धारा 13 (2) का नोटिस ऋणी को व्यक्तिगत तामील हुआ है तथा व्यक्तिगत तामील हुए नोटिस की फोटोप्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी ताराचन्द योगी के स्वामित्त्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. 6, खसरा नं. 1374, ग्राम–बासड़ी, तहसील–कोटपूतली, जिला–जयपुर क्षेत्रफल 172.98 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

4. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।

5. आदेश आज दिनांक 7.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)